न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 21/25

जीसीएमएस : 2025/183

1. राजेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री राम कुमार जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र कालूराम जाति बिश्नोई निवासी मुकलावा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। –:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:– 14.05..2025

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. श्री रणवीर बिश्नोई प्रार्थी अधि.।
2. श्री परविन्द्र बिश्नोई अधि. अप्रार्थी सं. 1।

–निर्णय–– दिनांक:–19.01.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि चक 16 टीके के खाता संख्या 82 नया के मुरब्बा नं. 56 प.नं. 151/303 के कि.नं. 14 ता 25 की कुल रकबा 3.036 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में पहुंच के लिए रास्ता की आवश्यकता है अप्राथी इन्द्रजीत की कृषि भूमि वाके चक 16 टीके के खाता संख्या 91 मु0 नं0 56 पत्थर नम्बर 151/303 किला नं0 1 ता 13 सालम प्रत्येक कुल 3.289 है0 नहरी भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य है, जो पूर्व में चक 16 टीके में संयुक्त खाता में कृषि भूमि धारण करते है, कालान्तर में खाता विभाजन के दौरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के पूर्वजों ने आपसी सहमति से दिनांक 02.06.1989 को उपरोक्त चक 16 टीके के मु0नं0 151/302 के किला नं0 5–6–15–16–25 में हम प्रार्थीगण को रास्ता दिया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा इस रास्ता में आई भूमि के बदले में मु0 नं0 53 के किला नं0 21 व 25 में खाला हेतु भूमि प्राप्त की। तत्पश्चात अब मु0नं. 56 पत्थर नं0 151/303 का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य खाता विभाजन होने पर उक्त मु.नं. 56 के कि.नं. 1 ता 13 अप्रार्थी के नाम से तथा किला नं0 14 ता 25 प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गये। अब अप्रार्थी इन्द्रजीत अपनी उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि से हमारी भूमि में [illegible] है [illegible] प्रार्थीगण को रास्ता देने से साथ इन्कार कर चुका है इस कारण मु0 नं0 56 पत्थर 151/303 के किला नं0 5-6 में [illegible] 0.026 हैक्टेयर प्रत्येक में रास्ता मंजूर किया जाना [illegible] अतः आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि अन्य कोई रास्ता का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 13:10:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

विकल्प न होने के कारण आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ चक 16 टीके प0 नं0 151/303, मु0 नं0 56 के किला नं0 5–6 मुरब्बा लाईन के चिपते दो दो बिस्वा अर्थात् 0.26 हैक्टेयर प्रत्येक रास्ता स्वीकृत फरमाने की कृपा करे, तद्नुसार तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री परविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा चक 16 टीके के मु0 नं0 56 प0 नं0 151/303 के किला नं0 5–6 मुरब्बा लाईन से चिपते हुए रास्ते की मांग की गई है, उक्त भूमि के मु0नं0 56 के किला नं0 21 में पिछले लगभग 50 वर्षो से रास्ता चल रहा है, जो पटवारी रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है। अप्रार्थी इन्द्रजीत की भूमि मु0नं0 56 से चिपती हुई मुरब्बा नम्बर 55 में किला नं0 1 ता 25 में पडती है, तथा किला नं0 1 में राजस्व रिकार्ड में पूर्व में रास्ता चल रहा है, जिसमें से प्रार्थीगण अपनी भूमि मु0नं0 56 के किला नं0 15–16–25 में मु0नं0 55 में से प्रवेश कर सकता है। प्रार्थी को मु0नं0 56 के किला नं0 5 व 6 में सुविधा अनुसार रास्ता चाहा गया है, उक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अप्रार्थी को भूमि के बदले भूमि 4 बिस्वा किला नं0 14 में प्राप्त करना चाहता है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की भूमि में रास्ते के तौर पर दी जाती है तो अप्रार्थी को भूमि के बदले भूमि देने के आदेश प्रदान करें।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1167 दिनांक 06.08.2025 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण के नाम से चक 16 टीके के प0नं0 150/304 मु नं0 64 के किला 8/2, 9 की 0.253 है0 तथा प0 नं0 151/303 मु0नं0 56 के किला नं0 14 ता 25 की 3.164 है0 नहरी व 0.125 है0 खाला इस प्रकार दोनों मुरब्बों की 3.289 है0 नहरी मय खाला भूमि राजेश कुमार–लक्ष्मीचन्द पि0 रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा इसी चक के प0 नं0 150/303 मु0 ने0 55 की 1 ता 24 की कुल 5.933 है0 नहरी मय खाला एवं प0 नं0 150/304 मु0नं0 64 के किला नं0 1 ता 4 की 0.885 है नहरी कुल 6.818 है0 नहरी मय खाला भूमि लक्ष्मीचन्द पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अप्रार्थी के नाम इसी चक के प0 न0 151/303 मु0नं0 56 के किला नं0 1 ता 11 की कुल 3.289 है0 नहरी भूमि इन्द्रजीत पुत्र कालूराम जाति बिश्नोई साकिन मुकलावा के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने रकबे में आवागमन हेतु चक 16 टीके के प0 नं0 151/303 मु0नं0 56 के किला नं0 5–6 मुरब्बा लाईन के चिपते प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता की मांग की हैं। मुताबिक रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का प्रार्थीगण चक 4 एनपी के मु0 नं0 03 में स्वीकृत एवं चालू रास्ता से अपने रकबे में आवागमन कर रहा है। प्रार्थीगण की मांग स्वंय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

सुविधा मात्र के लिए हैं। प्रार्थीगण चक 4 एनपी के मु0 नं0 03 में स्वीकृत एवं चालू रास्ता द्वारा अपने रकबे में आवागमन किया जा रहा है। प्रार्थीगण की रास्ता की मांग आवश्यक श्रेणी में नहीं होने के कारण चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नहीं है।

4. बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता नहीं है खेत में आने के लिए अन्य विकल्प भी है परन्तु प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है अगर प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मुझ इसी मुरब्बा के कि.नं. 14 में भूमि देने के बाद रास्ता स्वीकृत किया जावे।

5. अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार/भू.अभि.निरीक्षक/पटवार हल्का की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपने खेत में आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत काश्तकार को रास्ता दिया जाने का प्रवधान है पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका रिपोर्ट पर एतराज पेश करने पर मौका देखा गया। मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपनी स्वयं की सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है तहसीलदार रायसिंहनगर ने जांच रिपोर्ट में रास्ता स्वीकृत नहीं करने की अनुशषां की है लेकिन अप्रार्थी ने भूमि के बदले भूमि देने पर रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति दी। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 क आरटीएक्ट न्यायहित में अप्रार्थी को रास्ता में आने वाली भूमि के बदले भूमि के आधार पर स्वीकार किया जाता हैं।

<u>–:आदेश:–</u>

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर **<u>चक 16 टीके प0 नं0 151/303, मु0 नं0 56 के किला नं0 5–6 मुरब्बा लाईन के चिपते प्रत्येक में दो दो बिस्वा अर्थात् 0.26 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थीगण रास्ते के बदले भूमि चक 16 टीके प0 नं0 151/303, मु0 नं0 56 के कि.नं. 14–15 में 0.026 है. भूमि कि.नं.6–7 से चिपती हुई रास्ता को छोड़ते हुए अप्रार्थी इन्द्रजीत के नाम से दर्ज कर आदेश की पालना की जावे।</u>** निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:23 IST
Reason: Self Attested

{सुभाष चन्द्र (आर ...)}
... जिला ... स्थान

AnyScanner

र्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास
ाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:10:23 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner